(iii) amendment of the Industrial Disputes Act, 1947 to enable restructuring of the work force.

(iv) amendment of the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976 to improve generation of internal resources of sick companies.

(v) amendment of taxation laws to facilitate mergers, amalgamations of companies.

(vi) changes in Foreign Exchange Regulation Act, 1973 to attract Foreign capital and equity.

(vii) setting up of five Recovery Tribunals for speedier satisfaction of interests of secured creditors.

The recommendations are under consideration of Government.

गुजरात और उत्तर प्रदेश में घाटे में चल रहे सहकारी बैंक

3665. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में अनेक सहकारी बैंकों को अपने अत्यधिक प्रशासनिक व्यय के कारण घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उन्हें कितना-कितना घाटा हुआ है और प्रत्येक शाखा द्वारा प्रशासनिक व्यय के रूप में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई है ; और

(ग) सरकार उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंकों को हो रहे घाटे में कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार, गुजरात में कुल 18 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) में से 6 घाटे पर चल रहे थे। उत्तर प्रदेश में 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार 57 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में से 28 घाटे में चल रहे हैं। सहकारी बैंकों को, घाटा होने का एक कारण प्रशासनिक खर्च है। इसके अलावा अन्य घाटे के कारणों में निम्न ब्याज-अन्तर उच्च अतिदेय राशियां/अशोध्य ऋण आदि आते हैं। वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-1992 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में घाटे पर चल रहे जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों का विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष	रिपोर्ट करने वाले डीसीसीबी की सं०	घाटे पर चल रहे डीसीसीबी की सं०	घाटे की राशी (लाख रू०)
गुजरात			
1989-90	18	5	2872
1990-91	18	23	2758
1991-92	18	6	328
उत्तर प्रदेश			
1989-90	57	13	429
1990-91	54	16	966
1991-92	57	28	1448

1989-90 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान गुजरात में पांच डीसीसीबी का प्रशासनिक खर्च (प्रबंधन की लागत) 752 लाख रुपए था। गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में डीसीसीबी के

प्रशासनिक खर्च का विवरण नीचे दिया गया है :—

वर्ष	रिपोर्ट करने वाली डीसीसीबी की सं०	प्रबंधन की लागत (लाख रुपए)
1989-90	57	46
1990-91	44	36
1991-92	44	36

(ग) सहकारी बैंकों की हानियों की जांच करने के लिए नाबार्ड ने बहुत से उपाय किये हैं जैसे, अपने निरीक्षणों के दौरान राज्य सहकारी बैंकों (एस सी बी)/डी सी सी बी द्वारा किए गए वित्तीय प्रशासनिक खर्च की विस्तृत जांच, वार्षिक कार्य योजना संबंधी चर्चाओं के दौरान व्यय में कटौती की आवश्यकता पर जोर देना, सहकारी बैंकों को उपलब्ध ब्याज के अन्तर का यौक्तिकीकरण आदि हाल ही में नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों से कहा है कि संस्थागत सुदृढीकरण कार्यक्रम के तहत एस सी बी/डी सी सी बी की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए कार्य योजना तैयार करें।

Settling Rupee-Rouble Agreement Issues

3666. SMT. VEENA VERMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a Russian Official delegation visited New Delhi in the 3rd, 4th week of May, 1993, to settle certain issues arising out of the rupee-rouble agreement of January this year; and

(b) if so, what were the specific issues still to be resolved and what was the outcome of the May talks.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) A Russian delegation visited India in May, 1993 for talks on the Banking Arrangement for the implementation of the rupee-rouble agreement of January, 1993. A second round of talks was held when an Indian delegation visited Moscow in June, 1993. A draft Banking Arrangement was finalised and initiated at the conclusion of these talks. The Banking Arrangement will be signed and come into force after necessary approvals have been obtained by both sides.

Maharashtra Government request for raising Irrigation Bonds

3667. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Maharashtra have asked Government of India's permission to issue Irrigation Bonds to raise money for Irrigation Projects from Public, and

(b) if so, what are the details and decision of Government of India on the issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) Yes, Sir. The Government of Maharashtra had requested the Central Government for approval of raising special Irrigation Bonds for Rs. 100 crores during 1992-93 on an experimental basis.

The present scheme of public sector bonds is restricted to only those undertakings which are wholly or partly owned by Central Government. State level undertakings are to be governed by SEBI guidelines on debentures. Borrowings by the State Government are governed by the standard requirements of financing annual plans as approved by the Planning Commission.

Projects rejected by PIB/EFC

3668. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the names and designations of the Members of the Public Investment Board (PIB)/Expenditure Finance Committee EFC);